27-1-19 वकील उभय पक्ष उपस्थित। पीठासीन अधिकारी ...कुलदीप सिंह... हैं। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 08-1-20 को पेश हो।

8-1-20 आज बार संघ ने कार्य नही करने का निर्णय लिया है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 12-2-20 को पेश हो।

12-2-20 वकील उभयपक्ष उप। वादी की ओर से समय चाहा। पत्रावली हेतु वकील वादी के समय चाहने पर प्र.पा. 0-7 नि.। दिनांक 20-2-20 को पेश हो।

20-2-20 वकील वादी उप। अधिवक्ता प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता पवन कुमार शर्मा पत्र पेश। वह हाजिर आये। वादी प्र.पा. 0-7 नि.। के हेतु पत्रावली दिनांक 27-2-20 को पेश हो।

27/2/20 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्ष उप.। इनका पक्ष अधिवक्ता द्वारा वहस किया जाकर प्रार्थना पत्र 07 नि। CPC समाहित की गई। पत्रावली वादे शामिल दिनांक 28/2/20 को पेश हो।

28/2/20 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्ष उप.। उभय पक्ष द्वारा वहस आदेश हेतु। आदेश 7 R.11 CPC समाहित की जाकर वादी का प्रार्थना पत्र प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों का खंडन करते हुए उत्तर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2021.06.11 15:27:13 IST
Reason: SelfAttested

किए कि वादीगण द्वारा अपनी सौतेली माता स्व. रोशनी देवी पत्नी रामकरण द्वारा जीवनकाल में करवायी गयी दस्तबरदारी एवं इंतकाल को शून्य घोषित करवाने हेतु दावा पेश किया गया है। रामकरण के दो पत्नियाँ - नानूदेवी एवं रोशनी थी। वादीगण रोशनी देवी के प्रथम श्रेणी के वारिसान नहीं है अतः रोशनी देवी द्वारा एक त्याग किए गए रकबे में कोई भी हिस्सा पाने के अधिकारी नहीं है। अतः वाद विधि द्वारा वर्जित है। अतः काबिले खारिज है।

अधिवक्ता अप्रार्थी/वादीगण ने जवाब बहस में कथन किए कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र 07 R11 के कौनसे sub section में प्रस्तुत किया गया है, इसका कोई उल्लेख नहीं है। रोशनी देवी द्वारा की गयी दस्तबरदारी प्रारम्भतः शून्य है। रोशनी देवी की मृत्यु के पश्चात सभी लडकियों को हिस्सा मिलेगा। ~~अप्रतिवादीगण~~ प्रतिवादीगण द्वारा आज तक जवाबदावा पेश नहीं किया गया है। वारिसान संबंधी निर्णय बाद कायम लनकियात जीये साक्ष्य होना है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज योग्य है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में RRT 2017 Raj HC पेज 465, RRD 2018 पेज 465 का उल्लेख कर प्रार्थना पत्र 07 R11 CPC खारिज करने के कथन किए।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 CPC के विभिन्न बिंदुओं में से यहाँ केवल इस बिंदू पर विचारण करना है कि वाद विधि द्वारा वर्जित है अथवा नहीं?

आदेश 7 नियम 11 के प्रावधानों के विभिन्न में वादपत्र के अभिकथनों को सही मानते हुए ही अवधारणा का विनिश्चय किया जाता है। प्रार्थी ने अभिकथन किए हैं कि स्व. रामकरण की दो पत्नियाँ - नानूदेवी एवं रोशनी थी। नानूदेवी से नाथी व सोमती पैदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2021.06.11 16:27:13 IST
Reason: SelfAttested

हुयी जबकि रोशनी देवी से रचना एवं सुमन पैदा हुयी। वादीगण रोशनी देवी द्वारा अपनी पुत्रियों रचना व सुमन के पक्ष में दिनांक 8/7/2009 को निष्पादित दानपत्र को निरस्त करवाकर अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही है। साथ ही वादीगण ने स्वयं को रोशनी देवी का प्रथम श्रेणी का वारिसान मानकर इस आधार पर वादगत भादाजी में अपने अधिकारों की घोषणा करवाना चाहते है।

इस संबंध में न्यायालय का विनम्र मत यह है कि प्रतिवादीगण 1 व 2 स्व. रोशनी देवी की पुत्रियाँ होने के हैसियत से प्रथम श्रेणी की वारिसान है। रोशनी देवी द्वारा अपने जीवन काल में ही प्रतिवादिगण 1 व 2 के पक्ष में वादगत भादाजी का एक त्याग कर दिया था। वादीगण स्व. रोशनी देवी के प्रथम श्रेणी के वारिसान नहीं है। अतः वादीगण रोशनी देवी के एक हिस्से की जमीन में प्रथम श्रेणी के वारिसान के रहते ~~व~~ कोई घोषणा करवाने के अधिकारी नहीं है और न ही दानपत्रादी को शून्य घोषित करवाने के अधिकारी है। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद विधि द्वारा वर्जित है। इस दशा के वाद हेतु तनकी कायम करने अथवा साक्ष्य लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अधिवक्ता अपार्थीगण द्वारा वर्णित न्यायदृष्टांत यहां लागू नहीं होते।

उक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण विधि द्वारा वर्जित है। अतः प्रार्थना पत्र अर्थी अन्तर्गत O7R11 CPC स्वीकार का वाद इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया जाकर पालनी कैलाश कुमार द्वारा नम्बर से नकल की जाकर फाईल दफ्तर हो।

(उम्मेद सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2021.06.11 16:26:13 IST
Reason: SelfAttested